E-Mail ID cfgarhwalp@gmail.com, cfgarhwal555@gmail.com, Phone/Fex 01368-222566

कार्यालय वन संरक्षक, गढ़वाल वृत्त, उत्तराखण्ड, पौड़ी

पत्रांकः– 1990 /12-1 दिनांक, पौड़ी, मार्च 5 ,2022.

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक
एवं नोडल अधिकारी वन संरक्षण,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

विषय– **जनपद पौड़ी गढ़वाल के विधानसभा क्षेत्र लैन्सडौन के विकासखण्ड नैनीडांडा के अन्तर्गत खण्डोलिया खेत से कौला–पुलटण्डा तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 0.450 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन।**

PROPOSAL NO.- FP/UK/ROAD/143491/2021

सन्दर्भ– **प्रभागीय वनाधिकारी गढ़वाल वन प्रभाग का पत्रांक 2791/12–1 दिनॉक 04.03.2022**

महोदय,

विषयांकित प्रकरण में प्रभागीय वनाधिकारी गढ़वाल वन प्रभाग द्वारा सन्दर्भित पत्र से अवगत कराया गया है कि वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव में भारत सरकार स्तर से लगाई गई आपत्तियों का निराकरण प्रस्तावक विभाग एवं प्रभागीय कार्यालय द्वारा निम्नप्रकार किया गया हैः–

क.	प्रश्न	उत्तरालेख
1	बिन्दु सं0 5 का उत्तर अपूर्ण है। यह स्पष्ट नहीं है कि 7 मीटर RoW में कितने वृक्ष विधमान हैं, जिन 73 वृक्षों की गणना की गई है वे 7 मीटर RoW में है अथवा 9 मीटर RoW, कृपया यह स्पष्ट करें। अगर यह 9 मीटर RoW की गणना है तो 7 मीटर RoW में आने वाले वृक्षों का भी विवरण अलग से प्रस्तुत करें।	बिन्दु संख्याा 1 के क्रम में प्रस्तावक विभाग ने अपने पत्रांक 273/21 सी, दिनॉक 31–01–2022 द्वारा इस कार्यालय को अवगत कराया है कि पेड़ों की गणना 7 मीटर चौड़ाई में की गई है। तद्नुसार पेड़ी की कुल संख्या 73 है। पूर्व में 9 मीटर चौड़ाई त्रुटिवश लिखा गया था। आपके सुलभ सन्दर्भ हेतु प्रस्तावक विभाग के पत्र की छाया प्रति संलग्न है।
2	बिन्दु सं0 06 के उत्तर में भाग II के पैरा 14 में दी गई 'जिला प्रोफाइल' की जानकारी को पुनः जॉच कर सही जानकारी प्रेषित करने का कष्ट करें।	बिन्दु संख्या 2 के क्रम में अवगत करना है कि 'जिला प्रोफाइल' को संशोधित कर 04 मूल प्रतियों में संलग्न कर प्रेषित किया जा रहा है।

अतः उपरोक्त प्रकरण में अपने स्तर से यथोचित कार्यवाही करने की कृपा करें।

<u>संलग्नकः– उपरोक्तानुसार 3 प्रतियों में</u>

भवदीय,

(एन0एम0पाण्डेय)
वन संरक्षक,
गढ़वाल वृत्त, उत्तराखण्ड,पौड़ी।

JAIDEEP